>

Title: Need to include certain castes in the list of Scheduled Castes in Uttar Pradesh.

श्री रामकिशुन (चन्दौली): अध्यक्ष महोदया जी, उत्तर प्रदेश में आगामी त्रिपक्षीय पंचायती चुनाव हो रहा है। उस चुनाव में गोड़-खरवार के साथ लगभग आधा-दर्जन जातियां आरक्षण के लाभ से वंचित हो रही हैं। वर्ष 2001 की जनगणना में इन आधा दर्जन से ज्यादा जातियों की अनुसूचित जाति में गणना कराई गयी थी, लेकिन वर्ष 2003 में इन जातियों को अनुसूचित जनजाति की घोषणा उत्तर प्रदेश सरकार ने कर दी। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति का कोई आरक्षण नहीं है। जब तक आरक्षण अनुसूचित जनजाति का नहीं है, तब तक मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के त्रिपक्षीय पंचायती चुनाव में गोड़-खरवार-पनिका,पठारी-बैगा-धुरिया-नापक आदि ऐसी बहुत सी जातियां हैं जो 13 जनपदों में उनकी संख्या है। गणना उनकी अलग से नहीं हुई थी, गणना अनुसूचित जाति के अंदर ही हुई थी, लेकिन वर्ष 2001 की गणना में उनका नाम अनुसूचित जाति में था। इस नाते उनको अनुसूचित जाति का लाभ और आरक्षण मिल रहा है। लेकिन आज वह आरक्षण समाप्त कर दिया गया है। इसलिए उनके सामने चुनाव लड़ने का गंभीर संकट पैदा हो गया है। अब उनका जनप्रतिनिधित्व उत्तर प्रदेश के पंचायती चुनाव में नहीं हो पाएगा। इसलिए आपके माध्यम से सरकार से मैं मांग करता हूं कि यह अवितम्बनीय लोक महत्व का गंभीर विषय है। ऐसे लोगों को चुनाव से वंचित किया जा रहा है जो गरीब हैं, दलित हैं, उन्हें अनुसूचित जाति का लाभ दिलाते हुए, उन्हें त्रिपक्षीय पंचायती चुनाव में सम्मिलित करें और सरकारी नौकरियों में जो वे आरक्षण से वंचित हो गये हैं, वे आरक्षण से वंचित न हों, ऐसा कार्य करें। मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा।

MADAM SPEAKER: Hon. Members, we have some important Bills for consideration and passing. So, if you all agree, we will skip the lunch hour. We will take up the rest of the Zero Hour matters in the evening.

-

-

-

-